

क्र०/1338/मबावि/स्था./ 2024-25

बीजापुर, दिनांक 21/03/2025

" संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन "
"जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र"

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, छ.ग. के पत्र क्रमांक/6132/मबावि/सावि/ 2023-24 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20.09.2023 के तहत मिशन शक्ति अंतर्गत आने वाली समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिले में जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (Hub for Empowerment of Women) स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस हेतु एकमुश्त वेतन पर जेन्डर विशेषज्ञ का 01 रिक्त पद का प्रावधान है। जिसकी पद पूर्ति किए जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में संलग्न तालिका में दर्शाए विवरण के अनुरूप योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों से दिनांक 24/3/25 से 7/4/25 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट के माध्यम जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (महिला एवं बाल विकास विभाग शाखा) जिला बीजापुर (छ.ग.) में आमंत्रित किया जाता है।

1. जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र हेतु पदों का विवरण :-

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	निर्धारित मासिक वेतनमान	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	अनिवार्य योग्यता
1	2	3	4	5	6
01	जेन्डर विशेषज्ञ	01 अनु. ज.जा.	25780.00	8	<ul style="list-style-type: none"> जेन्डर से संबंधित कार्यों का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव। कम से कम 03 वर्षों का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव

2. वेतन भत्ते, अन्य सुविधाओं का विवरण :-

मिशन शक्ति अंतर्गत जिला स्तर पर जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (DHEW- District Hub for Empowerment of Women) में आदर्श मानव संसाधन की संरचना तथा उनकी योग्यता का निर्धारण मिशन भाक्ति के दिशा निर्देशों में उल्लेखित है। तदनुसार उक्त पदों पर योजना अंतर्गत निर्धारित संविदा वेतन पर भारत शासन द्वारा दी जा रही सहायता तक यह पद स्वीकृत है।

2.1 पद हेतु वेतन संबंधी विवरण क्रमांक 1 की सारिणी के कॉलम 4 में उल्लेखित है। योजना अवधि में नियुक्त कर्मियों को मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (HUB) के प्रावधान के अनुसार एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा तथा संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

2.2 इन कर्मचारी का अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित में संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

3. आयु सीमा :-

- 3.1 जेन्डर विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 3.2 आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8वीं, 10वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

4. चयन हेतु आर्हताएं, मापदंड एवं अन्य शर्तें :-

क्र.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	2	3	4	5	6
1.	जेन्डर विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री।	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान, जिसमें एम. एस.ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	<ul style="list-style-type: none">जेन्डर से संबंधित कार्यों का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव।कम से कम 03 वर्षों का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव	<ul style="list-style-type: none">स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता।अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव।

- 4.1 शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।
- 4.2 वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य है, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को, इन पदों हेतु 02 बोनस अंक दिया जाएगा।

5. नियुक्ति की प्रक्रिया :-

- 5.1 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।
- 5.2 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 18 अंक। (अनुभव प्रमाण पत्र में पद से संबंधी दायित्वों/कार्यों का स्पष्ट उल्लेख हो)
- 5.3 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 02 बोनस अंक दिए जाएंगे।
- 5.4 उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी।
- 5.5 वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे।
- 5.6 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।
- 5.7 उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 5 की उप कंडिका 5.1, 5.2, 5.3 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वेटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:10 के रेशियो में वॉक-इन-इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा।



6. नियुक्ति की अवधि :-

- 6.1. इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा/एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्ति किया जाएगा तथा तदपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा/सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
- 6.2. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 6.3. इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

7. अन्य नियम एवं शर्त :-

- 7.1 अनु.ज.जा. वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7.2 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- 7.3 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।
- 7.4 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी का निर्णय ही अंतिम होगा।
- 7.5 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
- 7.6 शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
- 7.7 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
- 7.8 प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
- 7.9 आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- 7.10 आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि तक स्वीकार किए जाएंगे।
- 7.11 कौशल परीक्षा/वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।



- 7.12 योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
- 7.13 विज्ञापन संबंधित विस्तृत जानकारी जिले के वेब साईट www.bijapur.gov.in पर उपलब्ध है।



जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला बीजापुर (छ0ग0)

पृ.क्र. / /मबावि/स्था./2024-25

बीजापुर दिनांक /03/2025

प्रतिलिपि -

1. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, बस्तर संभाग की ओर सादर सूचनार्थ
3. संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ
4. कलेक्टर, जिला बीजापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग की ओर राष्ट्रीय/प्रदेश स्तरीय सामाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु।
- ✓ 6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. बीजापुर को शासकीय वेब साइड bijapur.gov.in में अपलोड करने हेतु।
7. कार्यालय कलेक्टर एवं विभागीय सूचना पटल पर चस्पा हेतु।


जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला बीजापुर (छ0ग0)

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वयं द्वारा अभिप्राणित
नवीनताग पारामोर्ट सार्ज
फोटो पर हरताक्षर जिराका
आधा आवेदन पत्र में होना
चाहिए घरपा करें

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला बीजापुर (छ.ग.)

1. आवेदित पद नाम :-.....
2. आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :-.....
(अंग्रेजी की केपिटल लेटर में) :-.....
3. पिता/पति का नाम :-.....
4. जन्मतिथि (अंको में) :-.....
5. दिनांक 01.01.2023 को आयु :-.....वर्ष.....माह.....दिन
6. लिंग (पुरुष/महिला) :-.....
7. जाति/वर्ग :-.....
(अनु.जा./अनु.जन.जा./ओबीसी) :-.....
8. पता (पत्र व्यवहार हेतु) :-.....
.....
.....
मो.न.
ई-मेल
9. स्थायी पता :-.....
.....
.....
मो.न.
ई-मेल

10. क्या आवेदक विवाहित है, यदि हां तो विवाह की तिथि
जिवित बच्चों की संख्या :-.....

11. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्था में सेवारत है?(तो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें).....

12. शैक्षणिक योग्यता :- (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

13. अनुभव प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण (कब से कब तक)	कुल अनुभव वर्ष	रिमार्क

14. अनिवार्य संलग्नकों की सूची - (आवेदन के साथ कमबद्ध संलग्न करें)

1. जन्मतिथि हेतु 10 वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र
2. 12 वीं की अंकसूची
3. स्नातक की अंकसूची
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची
5. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र
6. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)

7. निवास प्रमाण पत्र
8. जाति प्रमाण पत्र
8. रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र
9. पहचान पत्र/आधार कार्ड/वोटर आई.डी. इत्यादि।
10. एक लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिख डाक टिकट सहित
11. अन्य संलग्नकों का विवरण

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी नियुक्ति निरस्त कर मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाने योग्य होगी।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का हस्ताक्षर